



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड



सीईएन 01/2025 - सहायक लोको पायलट (एएलपी)

सीबीटी-2(28.07.2026 को आयोजित) के प्रश्न, उत्तर, उत्तर कुंजी देखने एवं प्रश्नों/विकल्पों/उत्तर कुंजियों पर यदि कोई आपत्ति हो तो उन्हें दर्ज करने हेतु सूचना

सीईएन सं. 01/2025 के अंतर्गत सहायक लोको पायलट (एएलपी) श्रेणियों के विभिन्न पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी-2) दिनांक 28.07.2026 को आयोजित किया गया था। सीबीटी-2 में उपस्थित अभ्यर्थियों को प्रश्न, उनके उत्तर एवं उत्तर कुंजी देखने के लिए आरआरबी के वेबसाइटों पर लिंक उपलब्ध किया जाएगा जो 05.08.2026 के 16.00 बजे से 12.08.2026 के 23.55 बजे तक सक्रिय रहेगा।

उक्त विवरण देखने के पश्चात, प्रश्नों, विकल्पों एवं उत्तर कुंजी से संबंधित यदि कोई आपत्तियां हो तो उन्हें अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज किया जा सकता है जिसके लिए समय अनुसूची, शुल्क एवं प्रक्रिया नीचे दी गई है:

1. समय अनुसूची:

क्र.सं.	गतिविधि	दिनांक एवं समय
1.	प्रश्नों, दिए गए उत्तर, उत्तर कुंजी देखने एवं प्रश्नों, विकल्पों एवं उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज करने व ऑनलाइन शुल्क भुगतान	05.08.2026 के 16:00 बजे से
2.	प्रश्नों, उत्तर, उत्तर कुंजी को देखने एवं प्रश्नों, विकल्पों, उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज करने एवं ऑनलाइन शुल्क भुगतान विंडो का बंद होना।	12.08.2026 के 23:55 तक

2. आपत्तियां दर्ज करने हेतु शुल्क:

आपत्ति दर्ज करने हेतु निर्धारित शुल्क प्रत्येक प्रश्न के लिए ₹.50/- के साथ यथा लागू बैंक सेवा भार भी देय होगा। दर्ज की गई आपत्ति यदि सही पाई जाती है तो उस मामले में ऐसे वैध आपत्ति हेतु भुगतान किए गए शुल्क को यथा लागू बैंक भार की कटौती के बाद अभ्यर्थी को रीफंड कर दिया जाएगा। यह रीफंड उसी खाते में किया जाएगा जिस खाते से अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया गया है।

3. शुल्क भुगतान का तरीका:

- माएस्ट्रो, मास्टर कार्ड, वीज़ा, रूपे कार्ड - सभी प्रमुख बैंकों के डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड दोनों।
- यूपीआई/ यूपीआई क्यूआर कोड।
- नेट बैंकिंग/ मोबाइल बैंकिंग।

4. आपत्तियां दर्ज करने हेतु प्रक्रिया:

आवश्यक दिशा-निर्देश सहित विस्तृत प्रक्रिया आरआरबी के आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रदत्त लिंक में उपलब्ध होगी।

5. अभ्यर्थियों को आपत्ति(यां) यदि कोई हो, तो उन्हें अंतिम तिथि व समय अर्थात् 12.08.2026 के 23.55 बजे से पहले दर्ज करने की सलाह दी जाती है जिसके बाद प्रश्नों, विकल्पों, कुंजियों आदि पर अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. दर्ज की गई आपत्तियों पर आरआरबी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस मामले में आगे किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

दिनांक: 05.08.2026

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड